8. सैनिक कर्मचारी-कोटा (SMQ) के अन्तर्गत (सैन्यपाल्य हेतु) पॉलिटेकनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूहों के लिए आरक्षित सीटें।

8.1 बिहार राज्य निवासी सेवारत / सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों / अविवाहित पुत्रियों के लिए प्रत्येक पॉलिटेकनिक संस्थान में संचालित सभी शाखाओं में एक-एक सीटें (सर्विसमैन कोटा) आरक्षित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

नोट : सैनिक कर्मचारी कोटा के आरक्षित सीटों पर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1647 दिनांक 08.06.2010 की कंडिका 3.(iii) को इस विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट 4(iii) में देखें।

8.2 सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित स्थानों पर नामांकन सिर्फ बिहार राज्य निवासी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों को ही दी जाएगी।

8.3 सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटों के लिए योग्य पाये गए आवेदकों द्वारा पॉलिटेकनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह की परीक्षा में प्राप्त कुल अंक के आधार पर निर्धारित मेधा सूची के अनुसार नामांकन हेतु चयन किया जाएगा। **यदि फिर भी SMQ की सीटें रिक्त रह जाती है तो उन सीटों को गुणागुण कोटि से भरी जायेगी।**

8.4 सैनिक कर्मचारी कोटा की इन आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने के लिये निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ नामांकन हेतु साक्षात्कार / काउंसेलिंग के समय प्रस्तुत करना प्रादेशात्मक (Mandatory) है।

(क) सेवारत सैनिक कर्मचारियों / सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्रों एवं अविवाहित पुत्रियों के लिये :

- (i) जिला दंडाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवेदक का संबंध और आश्रित प्रमाण पत्र।
- (ii) सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा निर्गत सेवारत सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र (सेवारत सैनिक कर्मचारियों के लिए) या जिला सैनिक पर्षद (डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड) द्वारा निर्गत सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र (सेवा निवृत कर्मचारियों के लिए)।
- (iii) डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)।

(ख) भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी (Ex.-Service Men) कौन है?

As per the Extract of "A Guide To Resettlement of Ex-Service Men-1984" Ministry of Defence, Directorate General Resettlement :

- (i) An Ex-Service Man is a person who has served in any rank (whether as a combatant or as a non-combatant) in the Armed Forces of the Union including the Armed Forces of the former Indian States (but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak and Territorial Army) for a continuous period of not less than six months after attestation and has been recessed otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or has been transferred to the reserve pending such release or has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve or has been released at his own request after completing five years service in the Armed Forces of the Union.
- (ii) Former Personnel of the Jammu & Kashmir Millitia are also now treated as "Ex-Service Men".
- (iii) Four Categories of Territorial Army personnel are now being treated as "Ex-Service Men" by the Ministry of Defence.The Categories are :
  - (a) Pension Holders of the continuous embodied service.
  - (b) Disabled Territorial Army personnel with disability attributed to Military Service.
  - (c) Family Pension Holders.
  - (d) Gallantry Award Winners.

9. डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा : प्रश्न पत्र / परीक्षा स्तर।

9.1 प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में रहेंगे तथा परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर निर्देशानुसार देंगे।

9.2 परीक्षा के क्रम एवं अवधि में प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर अंकित सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उत्तर-पत्रक की पीठ पर दिये गये गद्यांश को नीले / काले बॉल प्वाइंट कलम से अपनी हस्तलिपि में पूर्ण रूप से लिखकर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करना अत्यावश्यक है अन्यथा उनके उत्तर-पत्रक को रद्द कर दिया जायेगा।

9.3 पाठ्यक्रम समूहवार प्रश्न पत्र / परीक्षा की तिथि एवं अवधि / परीक्षा स्तर :

पॉलिटेकनिक अभियंत्रण PE, पारा मेडिकल PMM - (माध्यमिक स्तरीय) तथा पारा मेडिकल PM , (इंटरमीडिएट स्तरीय) समूहों के लिये अलग अलग प्रश्न पत्र की परीक्षा प्रवेश सत्र-2025 में नामांकन हेतु सम्पन्न की जायेगी।

पाठ्यक्रम-समूहवार प्रश्न- पत्र एवं परीक्षा की अवधि तथा परीक्षा स्तर निम्नलिखित हैं-

(i) <u>प्रश्न पत्र - अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह (PE) :</u> अवधि 2 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 450

विषय	प्रश्न संख्या	पूर्णांक
भौतिक विज्ञान	30	150
रसायन विज्ञान	30	150
गणित	30	150
	-----	----
	90	450

(नोट : परीक्षा माध्यमिक स्तरीय।)

(ii) <u>प्रश्न पत्र - पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय)पाठ्यक्रम समूह (PM):</u> अवधि 2 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 450

विषय	प्रश्न संख्या	पूर्णांक
सामान्य विज्ञान (भौतिक / रसायन/ जीव विज्ञान)	25	125
अंकगणितीय योग्यता	15	75
हिन्दी	15	75
अंग्रेजी	15	75
सामान्य ज्ञान	20	100
	90	450

(नोट : हिन्दी, अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान इन्टरमीडिएट स्तरीय एवं सामान्य विज्ञान तथा अंकगणितीय योग्यता माध्यमिक स्तरीय।)

(iii) <u>प्रश्न पत्र- पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय)पाठ्यक्रम समूह</u> (PMM): अवधि 2 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 450

विषय	प्रश्न संख्या	पूर्णांक
भौतिक विज्ञान	20	100
रसायन विज्ञान	20	100
गणित	10	50
जीव विज्ञान	10	50
हिन्दी	10	50
अंग्रेजी	10	50
सामान्य ज्ञान	10	50
	90	450

(नोट : परीक्षा माध्यमिक स्तरीय।)

उपरोक्त परीक्षा की तिथियाँ विज्ञापन के माध्यम से दी जायेंगी।

9.4.1 अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह PE (माध्यमिक स्तरीय), पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह PM और पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह PMM में से जिन पाठ्यक्रम समूह/ समूहों के लिये किसी आवेदक को अर्हता प्राप्त है, उन पाठ्यक्रम समूह/ समूहों में से जितने पाठ्यक्रम समूह/ समूहों का उल्लेख उसने अपने मूल आवेदन पत्र के विहित स्थान पर किया है और तदनुसार कंडिका-10.1(ii)(c) में उल्लिखित दर से परीक्षा शुल्क दिया है, केवल उन्ही पाठ्यक्रम समूह/ समूहों से संबंधित प्रश्न पत्र/ प्रश्न पत्रों में वह परीक्षा दे सकेगा।

9.4.2 उपरोक्त कंडिका 9.4.1 के आलोक में आवेदकों की पात्रता के अनुसार उनके मूल आवेदन पत्र के विहित स्थानों पर उल्लिखित पाठ्यक्रम समूह / समूहों के लिए कंडिका 9.4 में दिये गये पाठ्यक्रम समूहवार प्रश्न पत्र / परीक्षा तिथि एवं परीक्षा अवधि / परीक्षा स्तर के अनुसार प्रश्न पत्र / प्रश्न पत्रों में उन्हें परीक्षा देनी होगी।

(क) जो आवेदक पॉलिटेकनिक **(अभियंत्रण) पाठ्यक्रम समूह** PE की परीक्षा हेतु अर्हता रखते हैं, वे पॉलिटेकनिक (अभियन्त्रण) प्रवेश प्रश्न पत्र में परीक्षा दे सकेंगे। देखें कंडिका 9.4.(i)।

(ग) जो आवेदक पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह PM की परीक्षा हेतु अर्हता रखते हैं, वे पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) प्रवेश प्रश्न पत्र में परीक्षा दे सकेंगे। देखें कंडिका 9.4.(ii)।

(घ) जो आवेदक पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह PMM की परीक्षा हेतु अर्हता रखते हैं, वे पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) प्रवेश प्रश्न पत्र में परीक्षा दे सकेंगे। देखें कंडिका 9.4.(iii)।

9.4.3 मेधा सूची :

PE / PMM / PM पाठ्यक्रम समूहों के लिये निर्धारित प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर उस पाठ्यक्रम समूह के लिये कोटिवार मेधा के आधार पर उस पाठ्यक्रम समूह के लिये कोटिवार मेधा सूचियाँ बनाई जायेंगी। इस प्रकार पाठ्यक्रम समूहवार / कोटिवार बनाई गई मेधा सूचियों से पाठ्यक्रमवार/ कोटिवार उपलब्ध सीटों को पात्रता प्राप्त आवेदकों द्वारा मेधा- सह-विकल्प के आधार पर भरा जायेगा।